


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

विषय:—ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के आबियाना शुल्क माफ करने बाबत।

राज्य में हुई ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे से प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2014 को राहत पैकेज जारी किया गया है। इसके बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उनके सिंचाई विभाग द्वारा लिये जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राहत पैकेज की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार ओलावृष्टि से जिन कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई है उनका सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किये जाने की कार्यवाही करावें।


शासन सचिव

शासन सचिव,

जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

एफ. 1(2) आ.प्र. एवं सआ/ओलावृष्टि/2014/ 1819

जयपुर, दिनांक 28-2-2014